कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा(छ.ग.)

e-mail : dwcdkorba@gmail.com **Telephone : 07759-226618**

क्रमांक/1920/मबावि/लेखा/2015–16 कोरबा, दिनांक 25/01/2016

1943

प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– निविदा प्रकाशन बाबत्।

——00——

विषयान्तर्गत कोरबा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्री स्कूल किट हेतु निविदा सूचना प्रकाशन के लिए संलग्न कर प्रेषित है।

कृप्या उक्त ग्लोबल निविदा सूचना प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं निविदा संबंधी प्रपत्र एवं शर्ते राज्य स्तर के **www.cgstste.gov.in** एवं जिला स्तरीय वेबसाईट **www.korba.gov.in** में लोड करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

25.01.16

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ कोरबा(छ.ग.)

Patle madam\patle mam\CMK latter58

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा(छ.ग.)

e-mail : dwcdkorba@gmail.com Telephone : 07759-226618

क्रमांक / 1922 / मबावि / लेखा / 2015–16 कोरबा, दिनांक 25 / 01 / 2016

1955

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– निविदा प्रकाशन बाबत्।

——00——

विषयान्तर्गत कोरबा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्री स्कूल किट हेतु निविदा सूचना प्रकाशन के लिए संलग्न कर प्रेषित है।

कृप्या द्वितीय निविदा संबंधी प्रपत्र एवं शर्ते राज्य स्तर के **www.cgstste.gov.in** एवं जिला स्तरीय वेबसाईट **www.korba.gov.in** में लोड करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

25.01.16

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ कोरबा(छ.ग.)

Patle madam\patle mam\CMK latter61

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-कोरबा(छ.ग.)

-//निविदा आमंत्रण//-

//निविदा सूचना का प्रारूप//

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक....1922 1943............ दिनांक 25/01/16 महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-कोरबा के अंतर्गत 10 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों में एवं 08 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में 255 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री स्कूल किट" आपूर्ति करने हेतु इच्छुक विक्रेताओं/निविदादाताओं से मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रू. *1000/- (एक हजार रूपये मात्र)* को *0235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 008-अन्य प्राप्तियों मद्* में चालान की मूल प्रति दिनांक 09.02.2016 तक प्रस्तुत कर कार्यालयीन समय में (10:30 से 05:30बजे तक) प्राप्त किये जा सकते है। निविंदा के प्रारूप एवं शर्ते राज्य स्तरीय वेबसाईड www.cgstate.gov.in एवं जिले की वेबसाईड www.korba.gov.in से देखे जा सकते है ।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	09.02.2016	समय 5:30 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11.02.2016	समय 03:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	11.02.2016	समय 4:00 बजे अपरान्ह

संलग्नः- निविदा के पारूप एवं शर्ते

स्थान :- कार्यालय जिला कलेक्टोरेट परिसर जिला-कोरबा

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास

जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (म0बा0वि0), जिला- कोरबा (छ0ग0)

//निविदा//

कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक 1443/मबावि/लेखा/2015-16 कोरबा दिनांक 25/01/16... के अनुक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के अंतर्गत 10 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री स्कूल किट" तथा 08 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 255 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए "प्री स्कूल किट" आपूर्ति करने हेतु उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से निविदा लिफाफों में दिनांक 11/02/2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ-कोरबा के स्थित कार्यालय में आमंत्रित है।

निविदा शर्ते निम्नानुसार है:-

1. "प्री-स्कूल किट" क्रय हेतु परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	एकी.बा. वि.परि.	आं.बा.केन्द्र संख्या	आं.बा.केन्द्र हेतु क्रय की जाने वाली प्री स्कूल किट की संख्या	मिनी आं.बा.केन्द्र संख्या	मिनी आं.बा.केन्द्र हेतु क्रय की जाने वाली प्री स्कूल किट की संख्या
1	कोरबा (श.)	223	223	0	0
2	कोरबा (ग्रा.)	315	315	07	07
3	कटघोरा	274	274	0	0
4	करतला	195	195	13	13
5	बरपाली	167	167	12	12
6	पाली	348	348	44	44
7	हरदीबाजार	170	170	20	20
8	पोड़ी उपारोड़ा	266	266	71	71
9	चोटिया	122	122	66	66
10	पसान	185	185	22	22
योग-		**2265**	**2265**	**255**	**255**

2. क्रयादेश जारी करने की तिथि को संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या अनुसार उपरोक्त दर्शित सरल क्रं. 01 में कमी या बढ़ाई जा सकती है।
3. प्री स्कूल किट में निहित सामाग्रियों की सूची उल्लेखित है। निविदादाता को इन्हीं सामग्रियों का पृथक-पृथक दर अंकित करते हुए कुल दर लेख कर निविदा प्रस्तुत करना होगा। विभागीय बंटन सीमा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रुपये 1850/- प्रति किट निर्धारित है एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 500/- निर्धारित है।
4. निविदादाता को आंगनबाड़ी केन्द्र के प्री स्कूल कीट हेतु प्रपत्र 'अ' और 'ब' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी तथा यदि कोई निविदादाता मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत करता है तब उनके द्वारा लिफाफा 'अ' और 'स' करना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त कोई निविदादाता आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक हों तब आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रपत्र 'अ' और 'ब' तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रपत्र 'अ' और 'स' प्रस्तुत करना होगा ।
5. निविदादाता को बंद लिफाफा (अ, ब एवं स) में निविदा प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा प्रपत्र "अ" में तकनीकि अर्हता एवं द्वितीय लिफाफा "ब" में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट का वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा प्रपत्र "स" में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट का वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रपत्र "अ" के अनुसार समस्त दस्तावेज जैसे पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणी (वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15) वाणिज्यकर विभाग द्वारा

जारी पंजीयन नम्बर, अमानत राशि, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र का पंजीयन अथवा नगरीय निकाय का पंजीयन, वाणिज्यकर विभाग द्वारा "कर चुकता प्रमाण पत्र" (निर्धारित प्रारूप में स्वीकार होगी, चालान की प्रति मान्य नहीं होगी), निविदादाता को अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र या उक्त सामग्री सप्लायर का पत्र एवं आवेदन शुल्क की पावती (चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा, लिफाफा "अ" का तकनीकि अर्हता पूर्ण करने वाले फर्मो का प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" खोला जावेगा अन्यथा नहीं । बिना सेम्पल किट की निविदायें नहीं खोली जायेगी ।

6. सभी **"कर"** सम्मिलित करके निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नही होगा।
7. निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 11/02/2016 अपरान्ह 03.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे निविदा लिफाफे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, प्रतिनिधि को निविदादाता से प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सूचित किया जायेगा जिसके 07 दिनों के अंदर रुपये 50/- के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में यह करार सम्पादित कर के देगा कि सामग्री आपूर्ति जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्रयादेश में निर्धारित किये गये स्थल तक पहुंचाकर देना होगा निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने पर भुगतान राशि में अनुपातिक कटौती की जावेगी अथवा क्रयादेश निरस्त किया जाकर अमानत राशि छ.ग. शासन के पक्ष में राजसात करके काली सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
9. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जावेगा। भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नही होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी या निरस्त किया जायेगा।
10. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा । आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु पृथक-पृथक अमानत राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. प्रपत्र "ब" हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री प्री स्कूल किट हेतु निविदादाता को **1,26,000/- (शब्दों में एक लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र)** का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी ड्राफ्ट (बी.डी./डी.डी.) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा में "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
12. प्रपत्र "स" हेतु मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री प्री स्कूल किट हेतु निविदादाता को **4,000/- (शब्दों में चार हजार रूपये मात्र)** का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी ड्राफ्ट (बी.डी./डी.डी.) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा में "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
13. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिये कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नही होगा।
14. निविदा में दर्शित सामग्री का (नान टॉक्सिक) होने संबंधी प्रमाण-पत्र भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जारी हो, का संकलन करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्ति की गई सामग्री का निर्धारित संस्था से बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त (नान टॉक्सिक) है का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता को सामग्री के साथ दो प्रतियों में देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आंबटन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
16. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा की निविदादाता को निविदा की सभी शर्ते मान्य व स्वीकार्य है।

17. प्रपत्र **"ब"** उल्लेखित प्रत्येक सामग्री दर पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा एवं समस्त सामग्री को प्रति किट की समस्त सामग्री दर योग **राशि 1850/- (शब्दों में- एक हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र)** से अधिक नही होगी एवं प्रपत्र **"स"** उल्लेखित प्रत्येक सामग्री दर पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा एवं समस्त सामग्री को प्रति किट की समस्त सामग्री दर योग **राशि 500/- (शब्दों में-रूपये पांच सौ मात्र)** से अधिक नही होगी।
18. निविदादाता प्रस्तुत सामग्री की मात्रा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जावेगा।
19. निविदादाता द्वारा ऐसे सेम्पल प्रस्तुत किया जावे जो 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों के लिये उपयोगी हों।
20. चयनित निविदादाता द्वारा सर्व प्रथम जिले में सामग्री प्रस्तुत करेगें। भौतिक सत्यापन पश्चात् जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट 10 बाल विकास परियोजनाओं में सामग्री स्वंय के व्यय पर भेजना होगा एवं जिले में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रदाय की जाने वाली प्री स्कूल किट 08 बाल विकास परियोजनाओं में सामग्री स्वंय के व्यय पर परिवहन करना होगा । जिन निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा उनका सेम्पल सामग्री के भुगतान तिथि से आगामी छः माह तक कार्यालय में रखा जायेगा ।
21. निविदादाता को शासन के वाणिज्यकर विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पिछले वर्ष का कर समाशेधन पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. इस निविदा में छ0ग0 शासन द्वारा जारी सत्यनिष्ठा संधि लागू होगी।
23. निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेज/जानकारी निविदादाता के द्वारा स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है प्रमाणित नहीं होने की दशा में निविदा अमान्य होगा।
24. विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों का मान्य होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

प्रपत्र-"अ"

विषय :- जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट/मिनी आंगनबाड़ी का क्रय वर्ष 2015-16 (जो लागू हो √ करें)

प्रपत्र भाग 'अ' तकनीकी अर्हता एवं धरोहर राशि

प्रति,

कलेक्टर,
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला :- कोरबा (छ.ग.)

1.	फर्म का नाम एवं पता (मोबाईल नं. सहित)	:-	--
2.	निविदादाता का नाम एवं माबाईल नं. एवं आवेदन शुल्क की पावती(चालान) संलग्न करें।	:-	--
3.	फर्म का वाणिज्य कर पंजीयन क्र. व दिनांक (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:-	--
4.	अमानत राशि का विवरण जारीकर्ता बैंक का नाम ड्राफ्ट क्र. व दिनाकं	:-	रू.--
5.	जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र या नगरीय निकाय से पंजीयन (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:-	--
6.	पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणीय पत्रक वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15)(सत्यापित प्रति संलग्न करें)	:-	--
7.	वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी कर चुक्ता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रमाण पत्र में सत्यापित प्रति संलग्न करें) (चालान की प्रति मान्य नहीं होगी)	:-	--
8.	निविदादाता को अधिकृत विक्रेता/अधिकृत सप्लायर का प्रमाण पत्र । (सत्यापित प्रति संलग्न करें)	:-	--
9.	किसी कार्यालय या संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो जानकारी दें।	:-	--
10.	प्री स्कूल किट का नान टाक्सीक होने संबंधी प्रमाण पत्र भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से जारी की गई हो। संलग्न करें।		
11.	समाग्री का सेम्पल के साथ विवरण लिखें।	:-	--

//घोषणा-पत्र//

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है । दी गई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के मेरी निविदा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी ।

स्थानः-.....................
दिनांकः-..................

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का पूर्ण नामः-
(फर्म का मुहर सहित)

नोट :- इस प्रपत्र को लिफाफा (अ) के अंदर वॉछित जानकारी के साथ रखा जावे तथा उपरोक्त कंडिका क्रमांक 02 से 10 तक के सभी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा कंडिका 04 धरोहर राशि का धनादेश मूलतः संलग्न करें, उपरोक्त प्रपत्र में किसी भी प्रकार से उपरी लेखन होने की दशा में निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

प्रपत्र-"ब"

विषय :- जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट का क्रय वर्ष 2015-16

प्रपत्र भाग 'ब' दर संबंधी विवरण

प्रति,

कलेक्टर,
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला :- कोरबा (छ.ग.)

आपके कार्यालय से निविदा दिनांक.................. हेतु मेरे/हमारे फर्म से दरे निम्नानुसार है :-

1. निविदादाता संस्था का पूरा नाम ....
   एवं पूरा पता ....
2. निविदादाता का नाम एवं ....
   मोबा./फोन नंबर ....

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	प्रत्येक सामग्री का दर	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कुल दर/ एकजाई दर	अधिकतम दर रूपये में (शासन द्वारा निधारित)
1	**प्री-स्कूल किट**	**मुक्त खेल (फ्री प्ले) हेतु आवश्यक सामग्री**			1850/- (रू. एक हजार आठ सौ पचास मात्र) दर निर्धारित है इसी दर पर सामाग्री विवरण के अनुसार प्रत्येक सामग्री के लिये दर अंकित किया जावें
	01.	बिल्डींग ब्लॉक (प्लास्टिक) 30 पीस - 01 नग			
	02.	किचन सेट, डॉक्टर सेट, तराजू सेट - 1-1 नग			
		शारीरिक विकास/बाहरी खेल संबंधित सामाग्री			
	03.	रस्सी-मोटी 10 मीटर की रस्सी - 01 नग			
	04.	गेंद-2 बड़ी गेंद एवं 8 छोटी सॉफ्ट बॉल			
		बौद्धिक विकास से संबधित सामाग्री			
	05.	विभिन्न आकार (शेप) साईज एवं रंगो के ऑब्जेक्ट (खिलौने-प्लॉस्टिक) - 06 नग			
		बोली भाषा से विकास से संबंधित सामाग्री			
	06.	जानवरों का चार्ट - 01 नग			
	07.	हिन्दी वर्णमाला का चार्ट - 01 नग			
	08.	फलों का चार्ट - 01 नग			
		सृजनात्मक विकास से संबंधित सामाग्री			
	09.	कागज सादा एवं रंगीन (05 छोटा पैकेट)			
	10.	क्रेयॉन- 2 पैकेट			
	11.	चॉक-सफेद-1 बॉक्स एवं रंगीन 1 बॉक्स			
		स्कूल रेडीनेस संबंधी सामाग्री (शाला पूर्व गणित)			

	12.	पासा जिसमें एक से छह अंक बने हो - बड़ा 02 नग //02//			
	13.	स्लेट-4 नग			
		आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अन्य सामाग्री			
	14.	बैट-बाल सेट - 01 नग			
	15.	पहिए से खींचने वाला खिलौना (कार/एरोप्लेन) - 02 नग			
	16.	फ्लाइंग डिस्क - 01 नग			
	17.	स्कीपिंग रोप - 02 नग			
	18.	हूलाहूप-02 नग			
	19.	क्ले - 04 कलर के 04 नग			
	20.	गुड़िया - 05 नग			
		सभी का योग :-			

(दर शब्दों में लिखे रू...)

महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा द्वारा क्रय की जाने वाली उपरोक्त सामग्री मेरे द्वारा प्रस्तुत दर पर प्रदाय करने हेतु तथा छ.ग. भंडार क्रय नियम के पालन हेतु सहमत हूँ तथा विभाग से अनुबंध निष्पादित करने के लिए बाध्य रहूंगा एवं सभी प्रकार के करों का जो भी भुगतान होगा वहन करूंगा । मेरे द्वारा नियम एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है जिसके लिए मै सहमत हूँ ।

निविदादाता का नाम ....

हस्ताक्षर सहित ....

नोट :- इस प्रपत्र को लिफाफा (ब) के अंदर निर्धारित जानकारी/दरों के साथ रखा जावे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)

प्रपत्र-''स''

विषय :- जिले के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट का क्रय वर्ष 2015-16

प्रपत्र भाग 'स' दर संबंधी विवरण

प्रति,

कलेक्टर,
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला :- कोरबा (छ.ग.)

आपके कार्यालय से निविदा दिनांक.................. हेतु मेरे/हमारे फर्म से दरे निम्नानुसार है :-

1. निविदादाता संस्था का पूरा नाम ....
एवं पूरा पता ....
2. निविदादाता का नाम एवं ....
मोबा./फोन नंबर ....

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	प्रत्येक सामाग्री का दर	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कुल दर/ एकजाई दर	अधिकतम दर रूपये में (शासन द्वारा निधारित)
1	प्री-स्कूल किट	**मुक्त खेल (फ्री प्ले) हेतु आवश्यक सामाग्री**			500/- (रू. पांच सौ मात्र) दर निर्धारित है इसी दर पर सामाग्री विवरण के अनुसार प्रत्येक सामाग्री के लिये दर अंकित किया जावें
	01.	बिल्डींग ब्लॉक (प्लास्टिक) 30 पीस - 01 नग			
	02.	किचन सेट, डॉक्टर सेट, तराजू सेट - 1-1 नग			
		शारीरिक विकास/बाहरी खेल संबंधित सामाग्री			
	03.	गेंद-2 बड़ी गेंद एवं 8 छोटी सॉफ्ट बॉल			
		बोली भाषा से विकास से संबंधित सामाग्री			
	04.	जानवरों का चार्ट - 01 नग			
	05.	फलों का चार्ट - 01 नग			
	सभी का योग :-				

(दर शब्दों में लिखे रू...)

महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा द्वारा क्रय की जाने वाली उपरोक्त सामग्री मेरे द्वारा प्रस्तुत दर पर प्रदाय करने हेतु तथा छ.ग. भंडार क्रय नियम के पालन हेतु सहमत हूँ तथा विभाग से अनुबंध निष्पादित करने के लिए बाध्य रहूंगा एवं सभी प्रकार के करों का जो भी भुगतान होगा वहन करूंगा । मेरे द्वारा नियम एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है जिसके लिए मै सहमत हूँ ।

निविदादाता का नाम ....
हस्ताक्षर सहित ....

नोट :- इस प्रपत्र को लिफाफा (स) के अंदर निर्धारित जानकारी/दरों के साथ रखा जावे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ-कोरबा (छ.ग.)